

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-501/2012

संस्थित दिनांक-27.06.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1. कन्हैयालाल पिता धर्माजी ठाकरे, उम्र-48 वर्ष,  
साकिन उमरिया, पुलिस थाना रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2. नरेन्द्र पिता कन्हैयालाल ठाकरे, उम्र-22 वर्ष,  
साकिन उमरिया, पुलिस थाना रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3. जितेन्द्र पिता रेखलाल ठाकरे, उम्र-26 वर्ष,  
साकिन उमरिया, पुलिस थाना रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-14/08/2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-294, 323/34, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-14.06.2012 को समय रात्रि 9:00 बजे स्थान उमरिया थाना रूपझर, जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान पर फरियादी नारायण को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, आहत को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को हाथ-मुक्को एवं लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-14.06.2012 को समय रात्रि 9:00 बजे स्थान उमरिया थाना रूपझर, जिला बालाघाट अन्तर्गत प्रार्थी नारायण खाना खाकर कहार के घर जाकर बैठा था तभी आरोपी कन्हैयालाल आया और उसे माँ-बहन की अश्लील शब्द उच्चारित किया, तभी अन्य आरोपीगण नरेन्द्र, जितेन्द्र तथा विकेश आया, सभी आरोपीगण द्वारा उसके साथ हाथ-मुक्को व लाठी से मारपीट की गई, जिससे फरियादी के सिर, पीठ और दोनों भुजाओं में चोट

आयी थी, आरोपीगण, फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना रूपझर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-60/2012 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, घटना में प्रयुक्त सम्पत्ति लाठी जप्त की गई, साक्षियों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506(भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश किया गया।

4- izdj.k ds fujkdj.k gsrq fuEufyf[kr fopkj.kh; fcUnq ;g gS fd%&

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-14.06.2012 को समय रात्रि 9:00 बजे स्थान उमरिया थाना रूपझर, जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान पर फरियादी नारायण को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत नारायण को हाथ-मुँहको एवं लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी नारायण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### **विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-**

5- फरियादी/आहत नारायण (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपी कन्हैया, जितेन्द्र, विकेश उसके रिश्ते में भाई हैं तथा आरोपी नरेन्द्र उसका भतीजा है। घटना दिनांक-14.06.2012 को रात करीब 9 बजे की है। वह रविन्द्र के घर से टी.व्ही. देखकर निकला तो रास्ते में आरोपी कन्हैया उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगा, उसने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी कन्हैया उसे लठ लेकर मारने दोड़ा उसके बाद अन्य आरोपीगण भी आये और आरोपी जितेन्द्र ने लठ से पीठ में मारा तथा आरोपी नरेन्द्र तथा विकेश ने

उसे कांधे पर लठ से मारे। फिर आरोपी कन्हैया ने उसे सिर में मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। उसे सिर में 3 टांके लगे थे। उसने रात में ही थाना रूपझर जाकर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेख कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का मुलाहिजा करवाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने से उसके शरीर के विभिन्न भागों पर चोट आयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने फरियादी के रूप में उसके द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विसंगति एवं विरोधाभास होना प्रकट नहीं होता है। साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

6— साक्षी द्वारका बाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि आरोपी कन्हैया उसका लडका है तथा शेष आरोपीगण, आरोपी कन्हैयालाल के लडके और भतीजे हैं। प्रार्थी नारायण उसका लडका है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि की है। आरोपी कन्हैयालाल, नरेन्द्र और रेखलाल ने प्रार्थी को लकड़ी से मारपीट किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी कन्हैया को कम दिखाई देता है और उसने आरोपीगण के द्वारा लकड़ी से मारते हुए नहीं देखा। साक्षी का स्वतः कथन है कि जब वह मौके पर पहुंची तो आरोपीगण भाग गये थे। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आरोपीगण द्वारा आहत नारायण को मारपीट किये जाते हुए न देखे जाने के कथन किये हैं, किन्तु घटना के तत्काल पश्चात् पहुंचकर घटना का वृतांत प्रकट किया होने से साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के मसय आरोपीगण मौके से भाग रहे थे और आहत नारायण को उस समय चोट कारित हुई थी। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

7— साक्षी रविन्द्र कुमार (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना रात्रि 8-9 बजे की है। आरोपी कन्हैयालाल और फरियादी नारायण के बीच झगडा हो रहा था और उसने बीच-बचाव किया था, उसके पश्चात् वह अपने घर आ गया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने नारायण को मारपीट की थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने झुमा-छपटी होने पर अलग किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब उसने दोनों को अलग किया तो नारायण को कहीं चोट नहीं थी, उसके द्वारा अलग करने के बाद दोबारा विवाद नहीं हुआ। इस प्रकार साक्षी ने मौके पर केवल आरोपी कन्हैयालाल और फरियादी नारायण के बीच झुमा-छपटी होने का तथ्य प्रकट किया है, किन्तु आरोपीगण के द्वारा नारायण को मारपीट किये जाने के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

8— चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर वासु क्षत्रिय (अ.सा.6) ने मुख्यपरीक्षण में कथन

किया है कि वह दिनांक-15/06/2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक चन्द्रमा यादव क्रमांक-673 द्वारा आहत नारायण पिता धर्माजी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत के खोपड़ी के दांयी ओर लेसेरेटेड वुन्ड, दांये कंधे, राइट स्केप्यूलर रिजन, बांये कंधे तथा बांयी पीठ पर एक-एक कंटुजन पाया था। चिकित्सीय साक्षी ने अपने अभिमत में प्रकट किया है कि आहत को आयी चोटे कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित है तथा सभी चोटे साधारण प्रकृति की है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है, जिस कारण उसके कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत नारायण को शरीर के विभिन्न हिस्सों में साधारण उपहति कारित हुई थी।

9— अनुसंधानकर्ता श्रीचंद पांचे (अ.सा.7) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16/06/2012 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-60/12, धारा-294, 323, 506 भाग-दो, 34 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था, जिस पर उसने विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने प्रार्थी नारायण, साक्षी राजकुमार, रवि उर्फ रविन्द्र, दारकाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी नरेन्द्र, आरोपी जितेन्द्र तथा बाल आरोपी विकेश से एक-एक लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाल आरोपी से जप्त की गई कार्यवाही का पर्चा थाना प्रभारी से प्रमाणित कराकर चालान के साथ संलग्न किया गया है। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाल आरोपी विकेश का गिरफ्तारी पत्रक की प्रमाणित प्रति चालान के साथ संलग्न किया गया है। बाल आरोपी विकेश के विरुद्ध चालान बाल न्यायालय में अलग से पेश किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामकुमार (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में घटना के बारे में जानकारी न होना प्रकट किया है। साक्षी को पक्ष विरोधी कर प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार साक्षी दिलीप (अ.सा.5) ने भी पुलिस द्वारा उसके सामने आरोपीगण से जप्ती की कार्यवाही एवं गिरफ्तार करने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिसवालों के कहने पर सम्पूर्ण दस्तोवेजों पर हस्ताक्षर किया था।

11— बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी मोहनलाल (ब.सा.1) ने अपनी साक्ष्य



में आरोपी कन्हैया और फरियादी नारायण के बीच में घटना के समय वाद—विवाद होने पर बीच—बचाव करने के कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय मारपीट होते हुए नहीं देखा, क्योंकि वह घटना के बाद पहुंचा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने नारायण से चोट के बारे में नहीं पूछा था। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी तथा वह चक्षुदर्शी साक्षी होना प्रकट नहीं होता, जिस कारण उसकी साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि मौके पर उसके पहुंचने के पूर्व ही आरोपीगण ने फरियादी नारायण के साथ मारपीट की थी। साक्षी ने आहत नारायण को किसी प्रकार की चोट न होने के कथन किये हैं जबकि आहत नारायण के न्यायालयीन साक्ष्य और चिकित्सीय साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि घटना के समय उसे चोटे कारित हुई थी, जिस कारण साक्षी के कथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

12— मामले में फरियादी नारायण की साक्ष्य का समर्थन किसी चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। साक्षी नारायण (अ.सा.1) की साक्ष्य अखण्डित रही है तथा उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस कारण उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आहत नारायण घटना के समय कारित उपहति के संबंध में चिकित्सीय साक्षी के अभिमत से भी पुष्टि होती है। आहत को आयी उक्त चोटे स्वयं के द्वारा कारित किया जाना संभावित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार आहत को आरोपीगण के द्वारा उसे उपहति कारित कराने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत नारायण को मारपीट कर उपहति कारित करने का तथ्य अभियोजन ने संदेह से परे प्रमाणित किया है।

13— आरोपीगण के द्वारा मिलकर आहत नारायण को मारपीट करते समय आरोपीगण यह जानते थे कि उनके कृत्य से आहत नारायण को निश्चित ही उपहति कारित होगी। ऐसी दशा में आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

14— नारायण (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि आरोपी कन्हैया के द्वारा उसे रास्ते मां—बहन की गाली दी गई, किन्तु साक्षी ने यह प्रकट नहीं किया है कि उक्त गालियाँ उसे सुनने में बुरी लगी या उससे उसे क्षोभ कारित हुआ। अभियोजन की ओर से अन्य साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि तो की है कि उभयपक्ष के मध्य वाद—विवाद हो रहा था, किन्तु कथित गाली—गलौच किये जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादी नारायण को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया। इसी प्रकार स्वयं फरियादी व अन्य किसी साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

15— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत नारायण को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत नारायण को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी नारायण को लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरे को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— मामले में आरोपीगण और फरियादी के मध्य खानदानी भूमि के विवाद को लेकर घटना के समय आरोपीगण ने फरियादी नारायण को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की है। मामले में आरोपीगण का वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जाना तथा नियमित उपस्थित होना प्रकट होता है। साथ ही आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत 1000/—(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहे है, इसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा तीन लकड़ियों मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)